

# The Uttar Pradesh Tax Bar Association (Regd.)

PRESIDENT

Arvind Kumar Gupta

Advocate

235, Sitaram, Azamgarh City

Mobile : 09415207624

adv\_arvindgupta@rediffmail.com



GENERAL SECRETARY

Sourabh Singh Gahlaut

Advocate

19-D, Avas Vikas Colony, Mall Avenue, Lucknow

Mobile : 9415002138, 7985036669

saurabh singh\_adv@rediffmail.com

अद्वा में,

आदरणीय निर्मला सीतारमण जी  
केन्द्रीय वित्तमंन्त्री कारपोरेट मामला  
भारत सरकार, नई दिल्ली।

सन्दर्भ:- आयकर की विवरणी तथा ऑफिट रिपोर्ट प्रस्तुति में समय वृद्धि हेतु आग्रह  
कर निर्धारित वर्ष - 2020.21

निर्धारित तिथि 31.12.2020 वृद्धि का आग्रह तिथि 31.03.2021

आदरणीय महोदया,

माननीय नरेन्द्र माई मोदी जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में उनकी मांति सेवा सर्वपण, समाज देश की श्री वृद्धि में आप के चिरस्मरणीय स्तुत्य सहभागिता हेतु आप का बन्दन अभिनन्दन।

सर्वहित साधक! आप को विदित होगा कि आयकर निर्धारितीयों को अपनी आयकर विवरणी तथा विधिनुसार ऑफिट योग्य व्यापारिक मामलों में ऑफिट रिपोर्ट प्रस्तुति की तिथि Covid-19 की परिस्थितियों के कारण अन्तिम रूप से 31 दिसम्बर 2020 निर्धारित की गई है। इस कार्य में व्यापारी, करदाता, उनके एकाउटेन्ट, कर सलाहकार, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउटेन्ट के एक साथ लगाने पर ही यह कार्य समयानुसार हो पाता है।

अघोलिखित कारणों से यह कार्य 31 दिसम्बर 2020 तक पूर्ण हो पाना सम्भव नहीं लग रहा है—

1. Covid-19 की परिस्थिति यथावत है जब तक वैक्सीन नहीं आती लोगों का सामान्य जनजीवन हो पाना सम्भव नहीं है इस कार्य में लगे हुए सभी वर्ग के लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं।
2. उक्त लोगों का सामान्य आवागमन Covid-19 के कारण बाधित है लोग सहमे हुए आवागमन कर रहे हैं इससे विवरण एकत्रित करना, उनकी रौयारी, जांच काफी दुर्घट व लगभग असम्भव हो रहा है।
3. Covid-19 के प्रभाव से मरीजों की संख्या बढ़ ही रही है जनजीवन जभी भी सामान्य नहीं है।
4. Covid-19 से कार्य में लगे सभी लोगों का एक जगह एकत्र हो कर कार्य करना, उसे पूर्ण करना उक्त विपरीत परिस्थितियों के कारण समयानुसार नहीं हो पा रहा है।
5. विगत अवधि अक्टूबर 2020 में उक्त समय आप के सौजन्य से 2 माह दिसम्बर 2020 तक बढ़ाया गया किन्तु माह अक्टूबर 2020 में नवरात्रि, दशहरा, नवम्बर में दीपावली, गैया दूज, छठ पूजा, (त्योहारी सीजन) शादी व्याह लगन के कारण सामाजिक, सामायिक धार्मिक बाध्यता के कारण लोग इनमें भी व्यस्त रहे जिससे समय वृद्धि का व्यवहारिक लाभ चाहते हुए प्रयास के बाद भी लोगों को नहीं मिल पाया। उक्त बाध्यतावश समयाभाव के कारण लोग पूरी तरह से कार्य पूर्ण कर नहीं पाए। लोगों में निरन्तरता तो दिसम्बर 2020 के द्वितीय सप्ताह से हुई लोग इस कार्य में लगे किन्तु समयाभाव के कारण भी उक्त कार्य न हो पा रहा है।
6. टैक्स ऑफिट व आय की विवरणी का कुछ प्रोफार्मा का दिशा-निर्देश CBDT द्वारा अक्टूबर व नवम्बर 2020 के अन्त में नया प्रस्तावित हुआ जिससे समझने में समय लग रहा है।
7. GST विधान की व्यवस्था के कारण उसके विधिक विवरणी GSTR-9/GSTR-9A/GSTR-9C/GSTR-3B व अन्य विवरणी की प्रस्तुति हेतु भी दिसम्बर 2020 का ही अन्तिम समय निर्धारित है जिसमें समय वृद्धि के लिए अलग से भी आग्रह किया जा रहा है, उक्त वर्ग के लोगों की इस कार्य में भी व्यस्तता के कारण समय का अभाव हो रहा है।


8. GST विधान में छोटे व्यवसायियों हेतु रिटर्न की नई व्यवस्था QRMP SCHEME जो जनवरी 2021 से लागू की जा रही है के प्रचार प्रसार में भी उक्त वर्ग के लोग लग कर सरकार की योजना में सहभागिता कर रहे हैं जिसमें उनका समय लगाने के कारण उक्त ITR व ऑडिट का कार्य प्रभावित हो रहा है।
9. Covid-19 के कारण ही विगत अवधि में कर निर्धारण वर्ष 2019-20 की विवरणी प्रस्तुति हेतु 31 अक्टूबर तक समय बढ़ाया गया, लॉकडाउन के कारण उक्त कार्य में पहले व्यवधान रहा बाद में समय वृद्धि होने से ही लोग कार्य पूर्ण कर पाए।
10. समय बढ़ाने से राजस्व की कोई क्षति नहीं होगी अधिकाधिक लोग बिना किसी लेट फीस दण्ड के विवरणी प्रस्तुति हेतु स्वेच्छा से आगे आएं और अधिक से अधिक विवरणी प्रस्तुत होगी राजस्व में वृद्धि होगी।
11. यहाँ यह उल्लेख करना उचित रहेगा कि Covid-19 के कारण ही GST अधिनियम की घारा 171 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन संख्या 91 / 2000 दिनांक 14.12.2020 द्वारा Anti Profiteeing proceeding authority का समय सरकार द्वारा स्वयं ही 31.03.2021 तक बढ़ा दिया गया है, यही समान परिस्थितियों उक्त सभी वर्ग के लोगों के भी साथ है। इसलिए उक्तानुसार समयावृद्धि उचित रहेगी।

**सर्व जनप्रिय जनसेवक!**

अनुनय पूर्ण आयह है कि उक्त परिस्थितियों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए विवरणी व ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुति की तिथि 31.03.2021 तक बढ़ाने की कृपा कीजिए आप का समयानुसार त्वरित सार्वक निर्णय जनसामान्य को राहत व आप के प्रति आभार का वातावरण बनायेगा लोग आहलादित व कृतार्थ होंगे।

सम्मान व आदर सहित  
आप ही का

सौरभ सिंह गहलौत  
महासचिव



अरविन्द कुमार गुप्ता  
अध्यक्ष